न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 51/2015

युसुफखां पुत्र भागुखां जाति मुसलमान निवासी रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर । ——**अपीलांट**

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व), घड़साना ।

——**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा. का. अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घड़साना

दिनांक 10.06.2015

उपस्थितिः—

श्री रणजीतसिंह सोनी, अभिभाषक अपीलांट।

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय **दिनांक :— 18.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी घड़साना के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 92 ए 188 एवं रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश कर कथन किया कि चक 7 ए आर एम के मु.न. 98/59 के कि.न. 11 से 25 की 14 बीघा वादी की मौरूसी खातेदारी है जिस पर वादी का कब्जा पिछले 65—70

18/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वर्षो से चला आ रहा है । उपनिवेशन विभाग द्वारा फिटिंग की कार्यवाही के दौरान वादी के धारण की भूमि मु.न. 98/50 व 98/59 की 14 बीघा में फिटिंग हुई । मु.न. 98/58 के कि.न. 11 से 24 व 98/59 के कि.न. 1 से 3 पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। वादी का कब्जा मु.न. 98/59 के कि.न. 11 से 25 की 14 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। फिटिंग के दौरान की गई गलती दुरस्ती योग्य है। तहसीलदार ने वादी के धारण की भूमि का खातेदार कृषक मानने से इन्कार किया है एवं रेकार्ड में दुरस्ती करने से भी इन्कार कर दिया एवं वादी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की जा रही हैं । अतः निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादपत्र के अनुतोष की मद क से ग अनुसार वाद डिक्री किया जावें ।

प्रतिवादी/स्टेट की ओर से जबाव दावा पेश कर वाद का खारिज करने का निवेदन किया गया ।

सुनवाई करने के बाद उपखंड अधिकारी घड़साना ने दिनांक 10.06.2015 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की हैं।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पेश होने पर प्रतिवादी द्वारा जबाव दावा पेश किया गया । किन्तु अधी.न्यायालय ने दावा एवं जबाव दावा के आधार पर तनकीयात कायम नहीं की एवं न ही वादी द्वारा

18/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किया गया । इस प्रकार अधी.न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए वाद डिक्री किया जावें ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी ने अपने वाद को साक्ष्य से साबित नहीं किया था । अधी.न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए वाद का वाद खारिज किया है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी घड़साना के आदेश दिनांक 10.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । अपीलाधीन आदेश एवं अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी. न्यायालय में वादी द्वारा वाद पेश करने पर विधिवत जबाव दावा पेश हुआ जो सीपीसी के प्रावधानों के मुताबिक तनकीयात निर्मित होकर उन पर साक्ष्य संग्रहित होकर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित था परन्तु अधी. न्यायालय द्वारा सीधे ही निर्णय पारित कर स्थापित प्रक्रिया एवं नियमों की की अवहेलना की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विधिवत तनकीयात कायम कर उन पर दोनों पक्षों को साक्ष्य

18/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पेश करने का मौका दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावें ।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

18/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर